

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू


(पीठासीन अधिकारी :- श्री हवाई सिंह यादव, आर. ए. एस.)

समा नं. : 86/2025

तारामणी बनाम आबिद हुसैन वगै०

प्रतिवादीगण की ओर से एडवोकेट राजेन्द्र बुडानिया तथा प्रतिवादीगण की ओर से एडवोकेट सुनिल कुमार, सुनिल कुमार व लक्ष्मीकांत की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 18.07.2025 को हवाई सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू के समक्ष निपटारे के पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है। वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम/करबा झुन्झुनू के हाल भूमि हाल खसरा नं. 377 प्रफल 3.46 हैक्टर व खसरा नम्बर 380 रकबा 2.00 है० कुल खसरा 2 कुल रकबा 5.4600 हैक्टर कृषि भूमे का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव निर्णय/डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करें।


डिक्री आज दिनांक 18.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा द्वारा जारी किया गया।

  
(हवाई सिंह यादव) 18/7/25  
उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू (राज.)



वाद के खर्चे

वर्गी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	4	स्टाम्प वकालतनामा	3
स्टाम्प वकालतनामा	1	स्टाम्प अर्जी	
मेहनतनामा वकील		मेहनतनामा वकील पर	
खर्चा गवाहान	1000	खर्चा गवाहान	
फीस कमिशनर		फीस कमिशनर	
बाबत इजराय हुक्मनामा		बाबत इजराय हुक्मनामा	
		मुतफरिक	3
		योग	
योग	1005		

  
(हवाई सिंह यादव) 18/7/25  
उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू (राज.)